कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी.- 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 247/2026

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 26.06.2026

थाना-तहबरपुर, जनपद आजमगढ़

● अन्तर्राज्यीय वाहन चोरी गिरोह का सक्रिय सदस्य गिरफ्तार, 50 लाख रुपये कीमत की चोरी की फार्च्यूनर वाहन बरामद।

● दिल्ली से चोरी कर मणिपुर ले जाकर बेचने वाले संगठित नेटवर्क का खुलासा, फर्जी नम्बर प्लेट लगाकर कर रहा था परिवहन।

● पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे पर पुलिस की सतर्कता से बड़ी सफलता, अभियुक्त के विरुद्ध दिल्ली में भी वाहन चोरी के दो मुकदमे दर्ज।

घटना का विवरण / गिरफ्तारी-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ0 अनिल कुमार के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना तहबरपुर पुलिस को बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। दिनांक **26.06.2026** को मोहर्रम पर्व के दृष्टिगत क्षेत्र भ्रमण एवं चेकिंग के दौरान पुलिस टीम पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे स्थित सरदहां अण्डरपास के निकट मौजूद थी। इसी दौरान पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे के **किमी सं. 226.3** पर रेस्ट लेन में एक सफेद रंग की फार्च्यूनर वाहन संदिग्ध अवस्था में खड़ी दिखाई दी।

पुलिस टीम मौके पर पहुँचकर उक्त खड़े वाहन की जांच करने पर चालक सीट पर बैठा व्यक्ति अचानक भागने का प्रयास करने लगा, जिसे पुलिसकर्मियों ने तत्परता दिखाते हुए पकड़ लिया। गहन पूछताछ एवं जांच में उसने अपना नाम **तोइजम नटराज सिंह** पुत्र तोइजम निमाई सिंह, निवासी वांगखेई थंबालखोंग, थाना पोरम्पाट, जिला इम्फाल ईस्ट (मणिपुर) बताया तथा स्वीवाहन किया कि वाहन चोरी का है और उस पर फर्जी नम्बर प्लेट लगाई गई है। जांच में वाहन का वास्तविक नम्बर **DL10CA0100** पाया गया, जो दिल्ली से चोरी की गई फार्च्यूनर वाहन है। पकड़े गये व्यक्ति को **दिनांक 26.06.2026 को प्रातः 02:50 बजे** पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे किमी सं. 226.3, ग्राम सरदहा, थाना तहबरपुर, जनपद आजमगढ़ से विधिक प्रक्रिया का पालन करते हुए पुलिस हिरासत में लिया गया तथा बरामद फार्च्यूनर वाहन को पुलिस कब्जें में लिया गया जिसकी अनुमानित कीमत लगभग **50 लाख रुपये** है।

अपराध का तरीका-

पूछताछ में अभियुक्त ने बताया कि उसका संपर्क दिल्ली निवासी **अमित** नामक व्यक्ति से एक मैसेजिंग ऐप के माध्यम से होता था। अमित दिल्ली एवं आसपास के क्षेत्रों से लग्जरी वाहनों की चोरी कर उसे उपलब्ध कराता था। अभियुक्त चोरी के वाहनों पर फर्जी नम्बर प्लेट लगाकर उन्हें मणिपुर के उखरूल क्षेत्र में **सिमरे** नामक व्यक्ति तक पहुंचाता था, जो आगे उन्हें बेच देता था। प्रत्येक वाहन की डिलीवरी के एवज में अभियुक्त को **30,000 रुपये** मिलते थे। उसने स्वीकार किया कि इससे पूर्व भी वह दो चोरी की गाड़ियां दिल्ली से मणिपुर पहुंचा चुका है। वर्तमान फार्च्यूनर वाहन अभियुक्त दिनांक-25.06.2026 को दिल्ली से लेकर मणिपुर जा रहा था, लेकिन नींद आने पर उसने वाहन पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे पर खड़ा कर दिया, जहां पुलिस द्वारा जांचोपरांत उसे पुलिस हिरासत में लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

तोइजम नटराज सिंह पुत्र तोइजम निमाई सिंह, उम्र लगभग 37 वर्ष, निवासी वांगखेई थंबालखोंग, थाना पोरम्पाट, जिला इम्फाल ईस्ट, मणिपुर।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0-105/2026, धारा 61(2), 317(2), 338, 336(3), 340(2) बीएनएस, थाना तहबरपुर, जनपद आजमगढ़।

आपराधिक इतिहास-

1-मु0अ0सं0 14552/2026 धारा 305(1) बीएनएस, थाना हरिनगर, नई दिल्ली

2- मु0अ0सं0 25527/2025 धारा 317(2) बीएनएस, थाना जनकपुरी, वेस्ट दिल्ली

अभियुक्त अन्तर्राज्यीय वाहन चोरी गिरोह का सक्रिय सदस्य है। गिरोह के अन्य सदस्यों के संबंध में जानकारी प्राप्त कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है।

बरामदगी-

अभियुक्त के कब्जे से एक अदद चोरी की फार्च्यूनर वाहन (वास्तविक नम्बर **DL10CA0100**, अनुमानित कीमत लगभग ₹50 लाख), वाहन के मूल अभिलेख, 02 मोबाइल फोन एवं ₹1,200 नकद बरामद किए गए।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

इस उल्लेखनीय सफलता में थानाध्यक्ष **आदित्य कुमार सिंह** के नेतृत्व में व0उ0नि0 **रवीन्द्र प्रताप यादव**, उ0नि0 **लोकेश मणि त्रिपाठी**, कांस्टेबल **ताहिर अली**, कांस्टेबल **सत्यम सिंह** एवं रिक्रूट कांस्टेबल **आनन्द राय** की टीम की महत्वपूर्ण भूमिका रही। पुलिस टीम की सतर्कता, त्वरित कार्रवाई एवं प्रभावी चेकिंग के परिणामस्वरूप अन्तर्राज्यीय वाहन चोरी गिरोह के एक सक्रिय सदस्य की गिरफ्तारी एवं लगभग 50 लाख रुपये मूल्य की चोरी की लग्जरी वाहन की बरामदगी संभव हो सकी।

उत्तर प्रदेश पुलिस